समाहरणालय, खगड़िया।

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, खगड़िया

प्रेस विज्ञप्ति

क्रं0 संख्या– 2 दिनांक–22.09.2015

MCMC कोषांग द्वारा जिले के सभी राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी के प्रतिनिधियों को विज्ञापनों के प्रकाशन अथवा प्रसारण को लेकर विशेष दिशा निदेश दिया गया। इस संबंध में सदस्य–सह–सचिव, MCMC कोषांग श्री कमल सिंह ने बताया कि किसी भी तरह के विज्ञापनों के प्रसारण के पूर्व प्रमाणीकरण कराना जरूरी है। साथ ही किसी भी तरह के Bulk SMS अथवा Voice Recording का प्रसारण के पूर्व MCMC से अनुमोदन कराना होगा। MCMC के सदस्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर, हैंड बिल, बैनर, सी0डी0 अथवा डी0भी0डी0 के माध्यम से प्रचार प्रसार करने से पूर्व अनुमोदन के कराना जरूरी है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश पत्र के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रतिनिधियों एवं मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों को सूचना दे दी गई है।

22-09-15

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी
खगड़िया।